राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–4/निरीक्षण) विभाग

क्रमांक : प.5(5)प्र.सु./अनु–4/2006 जयपुर, दिनांक : 6-12-2006

–:: परिपत्र ::–

प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षण दल द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों/स्वायत्तशाषी संस्थानों/ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति का आकस्मिक निरीक्षण करने पर यह पाया गया है कि अनेक कार्यालयों में अधिकारीगण अपना नाम उपस्थिति पंजिका में अंकित नही करते हैं और कई स्थानों पर नाम अंकित करने के उपरान्त अपनी उपस्थिति नियमित रूप से अंकित नही करते हैं । ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी किस दिनांक को कार्यालय में उपस्थित रहा अथवा अवकाश/दौरे पर रहा, यह स्पष्ट नही हो पाता है। कतिपय अधिकारियों में यह भी भ्रान्ति पाई गई कि उन्हें कार्यालयाध्यक्ष होने के कारण उपस्थिति के हस्ताक्षर करना अनिवार्य नही है ।

इस संबंध में सचिवालय में पदस्थापित अधिकारियों के लिये जारी पूर्व परिपत्र क्रमांक प.17(1)प्र.सु./1/92 दिनांक 12.10.1992 द्वारा उप सचिव स्तर के सभी अधिकारियों को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से अंकित करने के निर्देश प्रदान किये हुए हैं । इसी अनुरूप अधीनस्थ सभी राजकीय कार्यालयों में विभागाध्यक्ष के अलावा अन्य सभी स्तर के अधिकारियों को उपस्थिति पंजिका में नियमित रूप से उपस्थिति अंकित करना अनिवार्य होगा ।

उपरोक्त निर्देशों के संबंध में अविलम्ब अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश समस्त संबंधित अधिकारियों को जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें ।

(अनिल वैश्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. समस्य अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाएँ, राजस्थान ।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान ।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
8. रक्षित पत्रावली ।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रमुख शासन सचिव